कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांकः 41 /रा0मु0सू0आ0/रा0सू0आ0/2025 दिनांकः 03 फरवरी, 2025

कार्यालय आदेश

अभिलेखागार अनुभाग द्वारा प्रायः संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय सुनवाई कक्षों में विनष्ट की गयी पत्रावलियों में वादी/प्रतिवादी द्वारा रिकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किये जा रहे हैं। अभिलेखागार अनुभाग द्वारा पत्रावलियों को 13 माह व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार विनिष्ट कर दिया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अभिलेखागार अनुभाग द्वारा विनिष्ट कर दी गयी पत्रावलियों में प्राप्त रिकॉल प्रार्थना पत्रों पर सामान्यतः विचार किया जाना संभव नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रेषित रिकॉल प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित मूल पत्रावली यदि विनिष्ट होना पायी जाती है, तो ऐसे रिकॉल प्रार्थना पत्रों पर समुचित आख्या सम्बन्धित द्वारा अंकित करने के उपरान्त रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये, जो उक्त के प्रकाश में उचित निर्णय लेगें।

उपर्युक्त आदेश "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया जा रहा है।

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. संयुक्त रजिस्ट्रार/प्रशासनिक अधिकारी/शोध अधिकारीगण, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4. समस्त पेशकार/अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5. प्रभारी निबन्धन अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन0आई0 सी0 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03/03/25
(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार